

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1658 / FP/UK/ROAD /26799/2016 देहरादून: दिनांक: जनवरी, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक
मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 1.31 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में।

FP/UK/ROAD /26799/2016

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक
08-11-2019


महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती, उत्तराखण्ड,
के पत्रांक 1126/12-1 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। जिसे मूल में
संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,


(डी०जे०के० शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती
पत्रांक - 1126 / 12-1, मुनिकीरेती, दिनांक - 26 / 12 / 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 1.31 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में।
(FP/UK/ROAD/26799/2017)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/०६/१३९/२०१८/एफ०सी०/१७८०, दिनांक-०८.११.२०१९।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित कमियों के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है, जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	कमियां	निराकरण
1.	Original hard copy of bar chart, CA scheme and authority letter are still not received.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में बार चार्ट, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना एवं अथोरिटी लेटर की मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
2.	In reply of point no. 7, KML file uploaded for CA area is still 2.40 ha instead of 2.62 ha. State Govt. is requested to kindly upload the correct KML file of complete area.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के०एम०एल० फाईल में क्षेत्रफल संशोधित कर अपलोड कर दी गयी है एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के संशोधित डिजिटल मैप व जियोरिफेरेंस मैप की मूल प्रति सहित तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

संख्या :- / , तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक-1877/12-1, दिनांक-21.12.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

पत्रांक सं० 3620
दिनांक 21/12
20-12-19

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

प्रभागीय वन प्रभाग उत्तरकाशी
कृपया विषयक प्रस्ताव
में आरका को
गणनीय
21-12-19